



विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

संख्या/No. पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/18-19/254

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 27.8.18

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),

आन्ध्र प्रदेश, शेफाली रोड,
हेदराबाद - 500004

विषय:- राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के अधीन देय मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पेंशन एवं चिकित्सा सहायता का संशोधित दर से भुगतान करने बाबत।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प. 3(3) साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 23.08.2018

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(282)निपेवि/नियम/2014/2339-2405-H दिनांक 11.09.2018 एवं राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प. 3(3)साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 23.08.2018 अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति



Transferred to OG IB
for n.a.

8/10/18
AAO/Pm-AP

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 11-09-2018

क्रमांक :- प.5(282)/निपेवि/नियम/2014/ 2339-2405-H

महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर

2. कोषाधिकारी (समस्त) राज.

3. पेंशन वितरण हेतु अधिकृत समस्त बैंक (प्रशासनिक/क्षेत्रीय कार्यालय)

विषय :- राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के अधीन देय मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों की पेंशन एवं चिकित्सा सहायता का संशोधित दर से भुगतान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(3)साप्र/अ/2008 पार्ट दिनांक 23.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नांकित संशोधन किये हैं :-

1. सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों की पत्नी/पति को दी जा रही पेंशन राशि रुपये 12000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर दिनांक 23.08.2018 से रुपये 20000/- प्रतिमाह किया गया है।
2. मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों की पत्नी/पति को पेंशन के साथ दी जा रही रुपये 1200/- प्रतिमाह की नकद चिकित्सा सहायता को बढ़ाकर दिनांक 23.08.2018 से रुपये 4000/- प्रतिमाह किया गया है तथा इसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग की उक्त अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराते हुये नियमानुसार पूर्व में स्वीकृत सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दियों एवं उनकी पत्नी/पति को दी जा रही पेंशन एवं चिकित्सा सहायता का भुगतान दिनांक 23.08.2018 से बढ़े हुए दर से कराने की व्यवस्था करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(मंजूला वर्मा)
निदेशक

दिनांक :

क्रमांक :- प.5(282)/निपेवि/नियम/2014/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय.....(राज.)
3. उप/सहायक निदेशक, पी.आर.-2 अनुभाग, कार्यालय हाजा
4. अतिरिक्त तकनीकी निदेशक, NIC को भिजवाकर लेख है कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन राज्य सरकार के आदेशानुसार करना सुनिश्चित करावे।
5. DD(HPPMS)/A.C.P कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. निजी सचिव/निजी सहायक, कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली

6228

संयुक्त निदेशक(नियम)